thing is that the problem of internal subversion is not being looked into and that is why we are not able to effectively deal with the problem of terrorism in Kashmir.

SPECIAL MENTION

Problems faced by Migrant labour from Bihar while travelling on Railways

श्री नरेश यादव (बिहार) : महोदया, काफी प्रयास के बाद इस लोक-महत्व के मामले को उठाने का सुअवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो मामला है वह यह है कि पुर्वोत्तर भारत से, खासकर बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर पश्चिमोत्तर भारत की ओर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर रोजगार पाने के लिए आते हैं।

महोदया, यह मजदूर अपने खून को जलाकर मिल की चिमनियों में धुंए को निकालता है और अपने पसीने से किसानों के खेत को गुले-गुलजार कर देता है लेकिन जब ये मजदूर बिहार से चलता है तो उसकी क्या दुर्दशा की जाती है, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, जब मजदूर अपने गंतव्य स्थान से रेलगाड़ी पर चढ़ता है तो एक डिब्बे की कैपेसिटी है 90–96 पैसेंजर्स की और वह टिकट लेकर वे लोग लगभग 1000 की संख्या में बैठते हैं तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, यह मैं बताना चाहता हूं। खासकर मैं महानंदा एक्सप्रेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। गाड़ी जब खुलती है तो टिकट निरीक्षक और रेलवे पुलिस मजदूर को उठाकर गेट के पास बिठा देते हैं और गेट के पास से फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो 50 रुपये देता है उसको बर्थ वाली सीट अलाट की जाती है। और जो 30 रुपये देता है उसको चार सीट वाली जो जगह होती है वह दी जाती है और बीच वाले देने वाले को सीट के ऊपर जो जगह होती है, वह दी जाती है। यह क्लासीफिकेशन करके उन सभी मजदूरों से, जो कमाने के लिए बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आते हैं, पैसे लिए जाते हैं और उन मजदूरों के साथ यह शोषण की प्रक्रिया बिहार से लेकर जहां तक भी उनको जाना होता है, पंजाब हरियाणा, दिल्ली की ओर, वहां तक जारी रहती है और लौटते समय भी उनके साथ यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह मजदूर जो अपना खून-पसीना बेच करके इस देश की मालदारी बढ़ाता है, जो मेहनत करता है, क्या वह दोयम दर्जे का नागरिक है? क्या इस देश में यह माना जाता है कि जब तक वह पैसा नहीं देता, तब तक वह टिकट लेकर चलना भी उसके लिए अपराध है? यह प्रक्रिया बरसों से दोहराई जा रही है। मजदूरों का शोषण किया जाता है। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और खास करके रेल मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में बताएं कि मजदूरों का यह शोषण कब तक होता रहेगा। क्या उसका वैध टिकट लेकर चलना भी अपराध है? यह कहां का संविधान है? यह कहां का नियम है? यह उप नियम किसने बनाया कि उसमें पचास रुपए, तीस रुपए, बीस रुपये लेकर, कलासीफिकेशन करके, फिर यात्रा करने दी जाएगी? यह अति गंभीर मामला है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापति : लंच आवर हो रहा है। अभी बाकी स्पैशल मेंशन जो हैं –

We will take them up affter the Government business... (*Interruptions*)... No. not after Lunch. After 5 o'clock. We will finish the business which is pending, i.e. the Ordinance on Cable. (*Interruptions*)... First I will finish the Bill : then we will have other business. The Ordinances have got their precedence over any other business. It is good enough that the Chairman allowed so much. The Special Mentions will come after the Government business is over.

The House is adjourned for Lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at thirty-two muinutes past one of the clock.